न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :–

जेठाराम पुत्र पुरखाराम जाति मेगवाल निवासी साजीयाली

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

मांगीया बाबू कौजा कौम मेगवाल निवासी साजीयाली तहसील पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री जेठाराम स्वंय वादी।
2..श्री मांगीया प्रतिवादीगण
3 पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक :– 06-10-2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 355, 361 रकबा 128.08, 10.09 बीघा, सरहद मौजा [illegible] तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम जालाराम होने से राजस्व रेकर्ड में जालाराम दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 806352874622 जन आधार कार्ड संख्या x मतदाता परिचय पत्र संख्या एसएसबी/ x राशन कार्ड संख्या 00553 में जेठाराम नाम दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज जालाराम के स्थान पर जेठाराम सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:42:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम ......जालाराम...... के स्थान पर ......जेलाराम...... दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच ......तहसीलदार पचपदरा...... तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं ......355, 361...... रकबा ......128.08 व 10.09...... बीघा, सरहद मौजा साजीयाली पदमसिंह तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम ......जालाराम...... दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार ......पचपदरा...... की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम ......जालाराम...... दर्ज किया गया है वादी का सही नाम ......जेलाराम...... है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं ......355, 361...... रकबा ......128.08 व 10.09...... बीघा, सरहद मौजा ......साजीयाली पदमसिंह...... वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ......जालाराम...... पुत्र ......पुरखाराम...... के स्थान पर ......जेलाराम...... पुत्र ......पुरखाराम...... खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ......06-10-2021...... को कोर्ट केम्प कोर्ट ......साजीयाली पदमसिंह...... में मजमे आम में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:42:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट साजीयाली पदमसिंह

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
जेठाराम पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी साजीयाली पदमसिंह तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		मांगीला पुत्र कोजा जाति मेघवाल निवासी साजीयाली पदमसिंह राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री जेठाराम ..वादी स्वंय मिनजानिब श्री जेठाराम .... पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं 355, 361 रकबा 128-08, 10-09 बीघा, सरहद मौजा साजीयाली पदमसिंह .... वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम जामाराम ....पुत्र पुरखाराम .... के स्थान पर जेठाराम .... पुत्र पुरखाराम खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.10.2021 को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकीलतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:42:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner